न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 09/2024 – निगरानी

1. मदन धाकड़ पिता बालू धाकड निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. जगदीश पिता सुरेश धाकड़ निवासी माताजी की गली, थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. सोना धाकड़ पत्नी राजेश धाकड निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत थडौदा जरिए सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत थडौदा तह० बिजौलिया द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.07.2001

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार के दादा भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड़ निवासी थडौदा, तहसील–बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा की जायदाद भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 46 संवत 2029 दिनांक 15.01.1972 को जारी किया गया जो फर्जी व कूटरचित नहीं होकर नियमानुसार पत्रावली कायम कर पंचायतीराज अधिनियम के नियमों व शर्तों व प्रकिया की पूर्ण पालना कर जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा इसी भूखण्ड का उपरोक्त निगराधीन पट्टा गैरनिगराकार संख्या 03 के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित तैयार करवा लिया तथा व उसी फर्जी व कूटरचित पट्टे के आधार पर बिना किसी अधिकार के उक्त भूखण्ड को गैरनिगराकार संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांकित 14.08.2020 को विक्रय कर दिया। जो निगरानीधीन पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने से खारिज होने योग्य है । गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायतीराज अधिनियम के तहत् पट्टा जारी करने के लिए बने नियमों की किसी प्रकार की पालना नहीं की गयी। चूंकि गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त पट्टा फर्जी तौर से तैयार करवाया तथा गैरनिगराकार संख्या 02 कानसिंह को भी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

यह पूर्ण जानकारी थी कि उक्त जायदाद निगराकार की है एवं उक्त जायदाद पर उपयोग उपभोग भी निगराकार का ही है उसके बावजूद भी गैरनिगराकार संख्या 02 ने उक्त जायदाद का पंजीयन अपने नाम पर करवा लिया, इस कारण उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर एवं विक्रयपत्र के आधार पर गैरनिगराकार संख्या 02 को किसी प्रकार के हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत थडौदा तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाते हुए प्रस्ताव संख्या 03 से जारी पटटा दिनांकित 20.07.2001 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकार के दादा भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड़ निवासी थडौदा, तहसील–बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा के जमाने की जायदाद भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 46 संवत 2029 दिनांक 15.01.1972 को जारी किया गया जो फर्जी व कूटरचित नहीं होकर नियमानुसार पत्रावली कायम कर पंचायतीराज अधिनियम के नियमों व शर्तों व प्रकिया की पूर्ण पालना कर जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा इसी भूखण्ड का उपरोक्त निगराधीन पट्टा गैरनिगराकार संख्या 03 के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित तैयार करवा लिया तथा व उसी फर्जी व कूटरचित पट्टे के आधार पर बिना किसी अधिकार के उक्त भूखण्ड को गैरनिगराकार संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांकित 14.08.2020 को विक्रय कर दिया। जो निगरानीधीन पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने से खारिज होने योग्य है । गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायतीराज अधिनियम के तहत् पट्टा जारी करने के लिए बने नियमों की किसी प्रकार की पालना नहीं की गयी। चूंकि गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त पट्टा फर्जी तौर से तैयार करवाया तथा गैरनिगराकार संख्या 02 कानसिंह को भी यह पूर्ण जानकारी थी कि उक्त जायदाद निगराकार की है एवं उक्त जायदाद पर उपयोग उपभोग भी निगराकार का ही है उसके बावजूद भी गैरनिगराकार संख्या 02 ने उक्त जायदाद का पंजीयन अपने नाम पर करवा लिया, इस कारण उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर एवं विक्रयपत्र के आधार पर गैरनिगराकार संख्या 02 को किसी प्रकार के हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

थडौदा तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाते हुए पट्टा प्रस्ताव संख्या दिनांकित 20.07.2001 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत पटटा पंजीकृत विक्रयपत्र से दिनांक 14.08.2020 से विक्रयशुदा हैं। विधिक दृष्टान्त 2021(1) डीएनजे (राज.) 186 राजस्थान हाई कोर्ट अनुसार पंजीकृत दस्तावेज की सुनवायी का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। निवेदन हैं कि उक्त निगरानी प्रकरण की सुनवायी इस न्यायालय की क्षैत्राधिकारिता में नही होने से निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पटटे का पंजीयन दिनांक 14.08.2020 को उपपंजीयक बिजौलिया जिला भीलवाडा में किया गया हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत् क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा